न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 14/2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
श्रवणराम पुत्र श्री कंवराराम जाति सरगरा निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 395/3 रकबा 0.1456 हैक्टेयर आयी हुयी है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी ने खरीद कर नामान्तरकरण संख्या 1117 के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 395/3 रकबा 0.1456 हैक्टेयर भूमि के पूर्व से उतर की ओर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर स्थित है, जिसके खाता सं. 597 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर स्थित है जिसमें से आने जाने हेतु रास्ता कायम मौके पर स्थित है। जिसे संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी. से दर्शित किया गया है, प्रार्थी उपरोक्त मार्कसुदा रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 395/3 से सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 की भ्मि में से होते हुए खसरा नम्बर 347 तक रास्ता भूमि कृषि उपयोग हेतु आने जाने की आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 395/3 की भूमि में काश्त कार्य करने हेतु अपनी भूमि में आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 के मार्क ए.बी. सी. की भ्मि में से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 395/3 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थी सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 मार्क ए.बी.सी. भाग के रास्ते को उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 397 में से मार्क ए.बी.सी. भाग पर निकलने वाला रास्ता, जो खसरा नम्बर 395/3 में पहुचता है, जिसमें खसरा नम्बर 397 गै.मु. मार्क ए.बी.सी. में किसी भी समय रास्ता को सरकारी स्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested

पर बंद किया जा सकता है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु सरकारी रेकर्डेड रास्ते की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी समय खातेदारी खेत में आने जाने बाबत् अव्यवस्था उत्पन्न नही हो। प्रार्थी को खसरा नम्बर 397 की भूमि रास्ता प्राप्त करने का पूण अधिकार है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 395/3 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ सकता है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि है। काश्त कार्य वंचित के कारण प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो जायेगा। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति की जाना संभव नही है। प्रार्थी का मार्क ए.बी.सी. रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 में स्थित मार्क ए.बी.सी. के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर किस्म गैाचर में स्थित मार्क ए.बी.सी. 15 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस या जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 395/3 रकबा 0.1456 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर में से मार्क ए.बी.सी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो रास्ता खसरा नम्बर 347 तक पहुचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। ग्राम बीनावास की भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर में से स्थित मार्क ए.बी.सी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। माजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को माका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो माका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 395/3 रकबा 0.1456 हैक्टेयर किस्म बारानी चारम ग्राम बीनावास के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खाता संख्या 484 में प्रार्थी स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये वांछित रास्ते से ही आना जाना होता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ग्राम बीनावास के खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:56 IST
Reason: SelfAttested

जो प्रतिबंधित भूमि है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में ग्राम बीनावास के खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर में से 00.07.00 बीघा भूमि यानि 0.05663 हैक्टेयर रकबा जिसकी डी.एल.सी. की दूगुनी राशि 185125/– रूपये बनती है। उक्त भूमि गै.मु. गौचर भूमि है। उक्त भूमि के आस पास की भूमि असिंचित है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर–जयपुर से चिपती हुई स्थित है।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 19.12.2020 के अनुसार का रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले अपनी खातेदारी की भूमि मे से भूमि देने को तैयार है।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 395/3 रकबा 0.1456 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 397 रकबा 3.8104 हैक्टेयर के लाल स्याही से मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 395/3 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प02(63) राज'–9/2014 जयपुर दिनांक 29.09.14 के अनुसार अगर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होने पर एवं सबसे निकटतम सरकारी चारागाह की भूमि में से अपनी जोत तक पहुच सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में ''चारागाह'' दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नही किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकार्ड दर्ज किया जाये। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है, की भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 395/3 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु [illegible] आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.12.2020 एवं उसके साथ पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:56 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न नजरी नक्शा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दर्शाये लाल स्याही से मार्क भाग को रास्ते में दी जाने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि जो गौचर भूमि में परिवर्तन करनी है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भ्मि को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है। भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनांक 19.12.2020 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:56 IST
Reason: SelfAttested